(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना / अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(For linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Dehradun

No

Dated 20.02.2615

TO WHOW SO EVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.271hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD, Sahiya for the Construction of Village Plan To Vihar Motor Road

(5-275 Km) in Dehradun district falls within jurisdiction of Bagi village in Kalsi tehsils.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has (a) been carried out for the entire 2.271 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to Vth annexure 23.2, 23, 23.1
- The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required (b) under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it; \

The proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-(c) agricultural communities.

Eucl:-As above.

(Full name and official seal of the District Collector)

(RAVI HATH RAMAN (AS)

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Magistrate

No

Dated 20.02.2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 2.271 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD, Sahiya for the Construction of Village Plan To Vihar Motor Road(5.275Km) in Dehradun district falls within jurisdiction of Bagi village in Kalsi tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.271 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V annexure 23.2, 23, 23.1
- (b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the garm sabha of Chichrad villages(s) is enclosed as annexure..... To annexure......
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl :- As above.

(Full name and official scale of the District Collector)

(RAVI WATH RAMAN I.A.S.)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT DEHRADUN (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Dehradun district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr Ravi Nath Raman I.A.S District Magistrate, Dehradun on dated 20.02.2015 at time .4.00199...at Dehradun In which application claiming rights in measuring 2.271 Area hect for the construction of Village Plan To Vihar MOTOR ROAD forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Kalsi sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Debra Dun

Dated: 20:02:2015

District Magistrate

Deputy Commissioner cum-Chairman
District Level Committee

परियोजना का नाम :- मा० मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या—6406/111 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के ग्राम प्लान से ग्राम बिहार तक मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।िक0मी० 1 से 5.275 तक।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कालसी अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, कालसी

उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अर्न्तगत ग्राम ग्राम प्लान से ग्राम बिहार मोटर मार्ग (0.000हे0 आरिक्षत वन भूमि, 0.343हे0 सिविल एवं सोयम भूमि, 1.928 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 2.271हे0 वन भूमि) का लोoनिoविo प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय सिमित, (तहसील कालसी) की दिनांक — 15-2-2-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अशोक कुमार पाण्डे, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
श्री अशोक कुमार पाण्डे उपजिलाधिकारी कालसी	अध्यक्ष	TOTAL CONTRACTOR
श्री जीoसीo मार्तोलिया, उप प्रभागीय वनाधिकारी कालसी चकराता वन प्रभाग चकराता	सदस्य	THE TOTAL STATE OF THE PARTY OF
श्री मिट्ठन लाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी कालसी	सदस्य/सचिव	स्व वेबायत स्तुत्र सहायक समाज कल्याण अधिक
श्रीमती पानो देवी बीoडीoसीo	सदस्य	* (B. France)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वार्ता करसे हुए उप जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ग्राम प्लान से ग्राम बिहार मोटर मार्ग परियोजना हेतु 2.271हे० वन भूमि लोoनिoविo प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अर्न्तगत ग्राम ग्राम प्लान से ग्राम बिहार मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.271हे0 वन भूमि लोठनिठिठ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गुर्थ।

उप जिलाधिकारी अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील— कालसी कालसी जनपद— देहरादून

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, देहरादून. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील- कप्तासी जलायिकारी जनपद- देहरादून परियोजना का नाम :— मा० मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या—6406/111 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के ग्राम प्लान से ग्राम बिहार तक मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।िक0मी० 1 से 5.275 तक।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत का नाम बिहार तहसील कालसी, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अर्न्तगत ग्राम प्लान से ग्राम बिहार मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (..... हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.343हे0 सिविल एवं सोयम भूमि, 1.928 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 2.271हे0 वन भूमि) का लोoनिoविo विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बागी द्वारा दिनांक 15-2-1. को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बिहार के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपित्त नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सिव मुहर सिहत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जीवी विकास खण्ड जीवी कार प्राम पंचायत हार । दुन म मार्ड ग्राम प्रधान / सरपंच मुहर, सहित्र कर

> District Magistrate Dehra Dun.

दिनांक 15-2-201 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत विहार

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामुवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	भी बहादर संद 5% र-9% - जैते प्रेंड गाम मिहार	वहार हिंद
2	11 न्यमनलाल 5/0 २०० कार् राम	नमललाल
3	" भावासंह ४० अवाडासंह	भीवासह
4	" रमासंह 51" दलीपासंह	LOHIGE!
5	॥ सुराजमा डा. चेतासंह	31201018-15
6	। रामनाथ 510 देवीद्यात	शमनाथ
7	11 हिमचाय Sio कान्याम	रिशा-वन्द
8	" युद्वीर सिंह SIO राम-यन सिंह	युद्धार सिंह
9	सीमती साविजी उने भाव स्व राजिनामिट	स्मानिना द्वा
10	11 समानी देवी 1010 सुरववीर सिंह	स्ने ने निद्नी
11	11 कुरा देव) NIO भूपाल सिंह	क्षपा। देव।
12	ं। कमलादेवी ७१० रव भरावीरामंह	1 (63111164)
13	11 स्मिना देवी WIO स्रव्याल मिह	भी भी भी हैंगी
14	11 YOLH GA) WIO STUTE HON LONG	पुनम् प्या
15	प भम्ता तो भर wo विषी मासेट	मामग्रा यामप
16	ग अमिला डेकी ७१० गोपाल सिंह	अतिद्वा ,
17	ग जीपाल सिंह डा० दलीपासेट	91141 WIA8
18	11 कवीर-यय 310 रामनाथ	mont us
19	" रीनालकमार २/० छ। न्यान लात	Rumon
20	" अध्यरासंह रिं जिसताल	30/6
21	ग रवजानास्ट ऽ/० लिकतरम	खुवर ।
22	।। युन्दाराभ ऽ/० अथवाक	गुन्सरास
23	" स देन्द्रास ह ९/० भोवाल हे'	rengh o
24	" व्यवनामासह	40000008
25	" उनमेना ७/० सुनाल खुगाए	Therong



परियोजना का नाम :- मा० मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या-6406/111 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के ग्राम प्लान से ग्राम बिहार तक मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।कि0मी० 1 से 5.275 तक।

कार्यवृत्त

जिला देहरादून उत्तराखण्ड ग्राम प्लान से ग्राम बिहार मोटर मार्ग हेतु 2.271 है० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 5.9.2... वृक्षों के पातन की अनुमित हेतु अ०ख०,लो०नि०वि० सिहया को वनभूमि हस्तान्तरण। उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा -6(1) के अनुसार बागी ग्राम स्तरीय सिमित द्वारा उनकी बैठक दिनॉक को विचार विमर्श कर नियमानुसार निस्तारण किया गया है। पुनः उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम की धारा -6(3) के प्राविधानानुसार उपजिलाधिकारी कालसी की अध्यक्षता में गठित उपजिलास्तरीय सिमित द्वारा उनके बैठक दिनॉक 15:02-2015 को विचार विमर्श कर निस्तारण हेतु जिला स्तरीय सिमित को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।उक्त सिमितयों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव / आख्या के अनुसार वर्तमान मे विचाराधीन उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मे पाया गया कि चकराता

वनप्रभाग की रिवर रेन्ज के अर्न्तगत सिविल सोयम वन भुमि में चिन्हत भु—भाग पर वनअधिकार हेतु किन्ही अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी से सम्बन्धित समुदाय का का कोई Right व Settlements की कार्यवाही

अपेक्षित नही है। अत वनअधिकार हेतु कोई दावा नही है।

बैठक में जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदित किया गया । अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की .

गयी ।

जिला समाज कर्याण अधिकारी जिला समेस्स्ट्रिक्ट्याण अधिकारी

सदस्य सम्बद्धा

प्रमागीय वनाधिकारी चक्राजार बन प्रमाग चकराता अस्ट्रस्य केहरादन District Magistrate जिलाभिकारी un अध्यक्ष

वहराद्न